

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण
कपूरचन्द पुत्र खीमाराम जाति माली
निवासी खुडाला तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2025/755
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
11/12 25	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम जादरी स्थित भूमि खसरा नंबर 88 रकबा 3.9500 हैक्टर किस्म बारानी दायम कुल लगान 19.75, खसरा नंबर 89 रकबा 0.3100 हैक्टर किस्म बारानी दायम कुल लगान 1.55 व खसरा नंबर 112 रकबा 0.8800 हैक्टर किस्म बारानी दायम कुल लगान 4.40 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, बेडल एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



3
सहायक कलक्टर एवं पदेन
सहायक जिलाधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इब्त्दाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्णोई, आर.ए.एस.

वादीगण
कपूरचन्द पुत्र खीमाराम जाति माली
निवासी खुडाला तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/755
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन अनुसार ग्राम जादरी स्थित भूमि खसरा नंबर 88 रकबा 3.9500 हैक्टर किस्म बारानी दायम कुल लगान 19.75, खसरा नंबर 89 रकबा 0.3100 हैक्टर किस्म बारानी दायम कुल लगान 1.55 व खसरा नंबर 112 रकबा 0.8800 हैक्टर किस्म बारानी दायम कुल लगान 4.40 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, बेडल एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरंस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11/12/25 को जारी की गई।




3
(दिनेश विश्णोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

नजरी नक्शा मौके अनुसार

ग्राम - जाहरी
 प.म. - बैडल
 भू.अ.नि. वृत्त - खुडाला
 तहसील - बाली

S



लोक दल
 पटवारी (भू.अ.नि. वृत्त)
 बाली - बाली (पाली)

3/12/25

क्र.स.	कार्यकार का विवरण	नये काश्तकार बरंग द्वारा प्रदर्शित	हस्ताक्षर
	कपूरचंद पुत्र श्रीमराम जाति - माली सा. खुडाला		
	मरामलाल पुत्र श्रीमराम जाति - माली सा. खुडाला		
	पुष्पाद पुत्र श्रीमराम जाति - माली सा. खुडाला		
	अंकरलाल पुत्र श्रीमराम जाति - माली सा. खुडाला		

तहसीलदार (भू.अ.) बाली